कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा

ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती हेतु विज्ञापन

आवेदन की अंतिम तारीख :– 30.10.2012

छिन्दवाड़ा जिले में 16 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव के पद भरे जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

पद का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		कुल पदों की संख्या
	म.	पु.	
ग्राम पंचायत सचिव	5	11	16

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता

1. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।
2. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा मुक्त विश्वविद्यालय की कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण) होना अनिवार्य है।
3. आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव भरती एवं शर्ते नियम 2011 अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार 10+2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक का 65 प्रतिशत स्नातक की डिग्री में कुल प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत निर्धारित, स्नातकोत्तर डिग्री में कुल प्राप्तांक का 10 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर अर्हता हेतु 15 अंक के आधार पर तीन गुना मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

आयु सीमा

1. अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और रिक्त पद के लिए जारी सूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 35 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, निःशक्त तथा महिला अभ्यर्थियों को शासन के नियमों तथा आदेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

शर्ते :–

1. आवेदक छिन्दवाड़ा जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. प्रवर्गवार अवरोही क्रम में तैयार मेरिट सूची म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम 5(3) में वर्णित समिति की बैठक में चयन उपरांत जिला/जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।
3. चयनित व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी/तामील होने पर यदि वह 15 दिन में नियुक्ति स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उक्त स्थिति में प्रतीक्षा सूची में क्रमांक–1 पर शामिल व्यक्ति के नाम का नियुक्ति आदेश जारी किया जाकर तामील करवाया जाएगा।
4. प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी। इस दौरान रिक्त हुए पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जाएगी।

5. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन पत्र :—

अ. विज्ञापन में दर्शायें गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदक अपना आवेदन सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रेषित करें। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

ब. लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम का उल्लेख करें।

स. आवेदन पत्र पर अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र दिनांक 10.10.12 से दिनांक 30.10.12 तक कार्यालय जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा में शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान तथा वर्गीकरण

क्र.	पद का नाम जिसमें नियुक्ति की जाना है	मानदेय/वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
1	ग्राम पंचायत सचिव	रु. 1600/— नियत और रु. 250 यात्रा भत्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष तक
2	ग्राम पंचायत सचिव	रु. 2200—50—3000—70—3700 तथा रु. 250 नियत यात्रा भत्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छिन्दवाड़ा
9/10/12

//ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन का प्रारुप//

फोटो पास पोर्ट साईज

1. नाम मय पिता/पति ....
2. जन्मतिथि अंको में .... शब्दों में ....
....
3. न्यूनतमक शैक्षणिक योग्यता एवं प्रप्तांक का प्रतिशत ....
4. अन्य योग्यता ....
5. कम्प्यूटर योग्यता ....
6. जाति/वर्ग ....
7. विवाहित/अविवाहित .... विवाह का दिनांक ....
8. यदि विवाहित हो तो बच्चों की संख्या .... तथा सबसे छोटे बच्चे की जन्मतिथि ....
9. पत्राचार का पात ....
....पिन कोड
10. स्थायी पता ....
....पिन कोड

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण मेरे संज्ञान के अनुसार सत्य है। उपरोक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रृटि अथवा गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी निरस्त समझी जावेगी, जो मुझे बिना शर्त मान्य होगी।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम ....
दूरभाष/मो.नं0...................................

टीप :– आवेदन पत्र में दर्ज कोई भी असत्य जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु अपात्रता होगी।